रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122021-232199 CG-DL-E-28122021-232199

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5024] No. 5024] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2021/पौष 7, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2021/PAUSA 7, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5419(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 109 की उपधारा (3) तथा धारा 110 की उप-धारा (1) के खंड (ट) के साथ पठित केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम 124 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1365(अ), तारीख 13 दिसम्बर, 2004 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्रम संख्या 26 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी :-

(क) इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन-1 अक्तूबर, 2016 और 26(ख) तथा 26(ग) के "26 एआईएस- 038 (रेव. 1) /2015, संनिर्माण और क्रियात्मक सुरक्षा क्रियान्यवयन की तारीख तक वैध समय-समय पर यथा- संशोधित मानक अपेक्षाएं अधिसूचना की तारीख से बारह मास एआईएस- 038 (रेव. 2) /2020, (ख) इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन अधिसूचना की तारीख से बारह मास। "; समय-समय पर यथा- संशोधित मानक के लिए विशिष्ट अपेक्षाएं एआईएस- 156 /2020, समय-समय (ग)एल प्रवर्ग इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन के लिए विशिष्ट पर यथा- संशोधित मानक अपेक्षाएं

7605 GI/2021 (1)

(ii) क्रम संख्या 49 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखी जाएंगी:-

"49	वाहन प्रचालित बैटरी में प्रयुक्त	एआईएस- 048 /2009, समय-समय पर	1 अक्तूबर, 2013 और 26(ख) तथा 26(ग)	
	ट्रकशन बैटरियाँ	यथा- संशोधित मानक	के क्रियान्यवयन की तारीख तक वैध।"।	

[फा.सं.आर टी-11036/17/2021-एमवीएल] अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड-3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 1365, तारीख 13 दिसंबर, 2004 और अधिसूचना संख्या का.आ. 2914, तारीख 22 जुलाई, 2021 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 27th December, 2021

S.O. 5419(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 109 and clause (k) of sub-section (1) of section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), read with sub-rule (1) of rule 124 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:-

In the said notification, in the Table,-

(i) for serial number 26 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"26	(a) Electric Power Train Vehicles –	AIS-038 (Rev. 1) / 2015,	1 st October, 2016 and valid upto date of
Construction and Functional Safety		as amended from time to	implementation of 26 (b) and 26 (c).
	Requirements.	time.	
		AIS-038 (Rev. 2) / 2020, as amended from time to time.	Twelve months from date of notification.
			Twelve months from date of notification.";

(ii) for serial number 49 and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

Ī	"49	Traction batteries used in Battery	AIS-048- 2009,		as	1st October, 2013 and valid up to date of	
		operated vehicles.	amended	from	time	to	implementation of 26 (b) and 26 (c).".
			time.				

[F. No. RT-11036/17/2021-MVL]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1365(E), dated the 13th December, 2004 and last amended vide notification number S.O. 2914(E), dated the 22nd July, 2021.